

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर (राज.)

उप मण्डी प्राण बायतु, घोशिंगा, सिणधरी, गुडामालानी, चौहटन, शिव, दूरभाष नम्बर ☎ 02982-220503 (D), 221632 (F), 220130 (R)

Website- <http://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi> & E-mail- kums.barmer@rajasthan.gov.in

क्रमांक प.1()कृउमस-बाड/आंवटन-जीरामण्डी/2017/...17.00 - 01

दिनांक 20 जून 2017

-: विज्ञप्ति :-

कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर से जीरा मण्डी हेतु अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन मे अनुज्ञापत्र अवधि, मण्डी शुल्क एवं टर्न ओवर आकड़ो के आधार पर अचल सम्पति आंवटन नीति 2005 के बिन्दु सख्या 03 के तहत अस्थायी वरियता सूची दिनांक 20.06.2017 को जारी कर दी गई है तथा मण्डी समिति द्वारा कृषको, व्यापारियों, इत्यादि सभी वर्गों के आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात् कुछ आवेदक अर्हता/योग्यता पूरी नहीं करते है अथवा आवेदन पत्र में कमी है, की सूची भी जारी कर दी गई है। उक्त वरियता सूची एवं आवेदन पत्रों में कमियों की सूची का अवलोकन इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड, मण्डी व्यापार संघ एवं विभागीय वेबसाईट <http://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi> एवं <http://agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb> तथा राज्य उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> व जिले की वेबसाईट <http://barmer.rajasthan.gov.in> पर किया जा सकता है। उक्त अस्थायी वरियता सूची के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस (06.07.2017 तक) की अवधि मे आवेदको द्वारा अस्थाई वरियता सूची के सम्बन्ध मे आपतियां कारण दर्शाते हुए मण्डी कार्यालय बाड़मेर मे प्रस्तुत की जा सकती है तथा आवेदन पत्रों में पाई गई कमियां की पूर्ति एक सप्ताह में कराई जा सकती है।


सचिव

क्रमांक प.1()कृउमस-बाड/आंवटन-जीरामण्डी/2017/...17.00 - 01

दिनांक 20 जून 2017

प्रतिलिपि:-वास्ते सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।

1. श्रीमान् निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर बाड़मेर।
3. श्रीमान् प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर एवं अति. जिला कलक्टर बाड़मेर।
4. श्रीमान् क्षेत्रीय उप/संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड समस्त राजस्थान।
5. श्रीमान् महाप्रबन्धक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
6. श्रीमान् उप निदेशक/प्रोग्रामर, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
7. श्रीमान् उप निदेशक (एसीपी) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग बाड़मेर को वास्ते वेबसाईट पर अपलोड बाबत्।
8. सम्पादक दैनिक नव ज्योति बाड़मेर एवं दैनिक राष्ट्रदूत जालोर को प्रेषित की लेख है कि उक्त विज्ञप्ति साईज 8×10 cm में जोधपुर सम्भाग के सभी संस्करणों मे एक बार शिघ्र प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित करवाकर बीजक भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवावे।
9. कम्प्यूटर शाखा/लेखा शाखा/आंवटन शाखा/नियमन शाखा।
10. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) ऊंझा (गुजरात)
11. प्रशासक/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त राजस्थान।
12. अध्यक्ष, मण्डी व्यापार संघ बाड़मेर/अनाज व्यापार संघ बाड़मेर/मण्डी व्यापारी विकास समिति बाड़मेर।/श्री व्यापार संघ गुडामालानी/अनाज किराणा व्यापार संघ, धौरीमना।
13. नोटिस बोर्ड मुख्य कार्यालय/उपमण्डी कार्यालय सिणधरी/धौरीमना/चौहटन/गुडामालानी/बायतु


(डॉ. इन्दरसिंह)
सचिव